डीजी परिपत्र संख्या- 35 /2023

विजय कुमार
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
दिनांकःलखनऊः सितम्बर 11,2023

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदेश के विभिन्न कमिश्नरेट/जनपदों में कच्छा-बनियानधारी/घुमन्तू/बावरिया गिरोहों के साथ-साथ डकैती/लूट/चोरी/चैन स्नैचिंग आदि गैंगों/पेशेवर अपराधियों द्वारा आपराधिक घटनायें कारित की जाती हैं। ऐसे अपराधी अपने स्थायी ठिकानों को छोड़कर किसी दूसरे शहर अथवा कस्बे में जाकर निवास करते हैं, जिससे स्थानीय पुलिस का ध्यान उन पर से हट जाये। कभी-कभी यह अपराधी छोटे-मोटे घरेलू सामान, खिलौने आदि बेचने का कार्य करते हैं अथवा वेश-भूषा बदलकर, घूम-फिर कर किसी इलाके की जानकारी करके अपने द्वारा किये जाने वाले अपराध को चिन्हित कर लेते हैं तथा मध्य रात्रि या जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, उन्हीं के अनुरूप अपराध कारित करते हैं।

2. घटना कारित करने के उपरान्त प्रायः यह अपराधीगण एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कुछ घटनाओं में इन अपराधियों द्वारा छोटे वाहनों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों के घटित होने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों के लिये घटनाओं में संलिप्त अपराधियों का सही पता लगाकर सफलतापूर्वक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण किया जाना कठिन होता है।

3. ऐसे पेशेवर अपराधियों एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नांकित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है-

- समस्त कमिश्नरेट/जनपद/परिक्षेत्र व जोन स्तर पर इस प्रकार के गिरोहों/अपराधियों का एक प्रभावी सत्यापन अभियान चलाकर सूचीबद्ध किया जाय। सूचीबद्ध किये गये अपराधियों के डाटा को कमिश्नरेट/जनपद/परिक्षेत्र व जोन स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुये आपस में आदान-प्रदान किया जाय।
- कमिश्नरेट/जनपद के समस्त थानों में प्रचलित बीट व्यवस्था में नियुक्त पुलिस कर्मियों को इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों को बीट बुक में अद्यावधिक करते हुये सतत निगरानी की जाय।
- जनपद में गठित सर्विलांस टीम द्वारा गिरोहों/अपराधियों के सम्पर्क नम्बरों को ज्ञात कर उनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाय।
- स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) द्वारा अपने फील्ड इकाईयों को उपरोक्तानुसार सक्रिय करते हुये गिरोहों/अपराधियों पर जनपदीय पुलिस से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जाय।

- प्रत्येक कमिश्नरेट/जनपद के स्थानीय अभिसूचना इकाई में नियुक्त पुलिस कर्मियों को इस प्रकार के अपराधियों के विषय में अभिसूचना एकत्रित करने हेतु विशेष बल दिया जाय।
- ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु रात्रि गश्त पार्टी/पेट्रोलिंग वाहनों के समय व स्थान को प्रतिदिन परिवर्तित करते हुये संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय।
- सक्रिय अपराधियों के सत्यापन के पश्चात यदि अपराधी अपने निवास स्थान पर मौजूद नहीं है तो पैरा-258 के अनुसार थाना प्रभारी द्वारा अपराधी के गतव्य जनपद के थाना प्रभारी को **जॉच पर्ची 'अ'** प्रारूप संख्या-204 में तैयार कर तत्परता से द्रुतगामी माध्यम से प्रेषित किया जायेगा तथा सम्वन्धित थाना प्रभारी द्वारा उन सक्रिय अपराधियों की सतत्‌ निगरानी की जायेगी।
- इसी प्रकार पुलिस रेगुलेशन के पैरा-268 के अनुसार जिस थाना क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के आगमन की सूचना प्राप्त होने पर उस थाना क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र जॉच पर्ची 'ब' (पुलिस प्रपत्र संख्या-205) अपराधी के मूल जनपद के थाने को द्रुतगामी माध्यम से भेजेंगे। सम्बन्धित थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा **जॉच पर्ची 'ब'** का शीघ्रातिशीघ्र सत्यापन कर सम्बन्धित को सूचित किया जायेगा।
- ऐसे अपराधी जो सत्यापन के दौरान अपना नाम व पता गलत बतायें हों, उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही करायी जाय तथा जिन अपराधियों का पता नहीं चल पा रहा (लापता) है, उनको सूचीबद्व कर समस्त कमिश्नरेट/जनपद/परिक्षेत्र/जोन व इकाईयों को साझा किया जाय।
- ऐसे अपराधी जो किसी अन्य कमिश्नरेट/जनपद के मूल निवासी हैं तथा वहां से आकर किसी अन्य कमिश्नरेट/जनपदों अस्थायी रूप से निवासी कर रहे हैं (जिनके सम्बन्ध में **जॉच पर्ची 'ब'** प्रारूप-205 भेजा गया है) अथवा ऐसे अपराधी जो किसी कमिश्नरेट/जनपद से प्रस्थान पर किसी अन्य कमिश्नरेट/जनपद में निवास कर रहे हों, (जिनके सम्बन्ध में **जॉच पर्ची 'अ'** प्रारूप-204 भेजा गया है) की संकलित सूचना/विवरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को तत्परता से उपलब्ध करायेगें। यह संकलित विवरण प्रत्येक कमिश्नरेट/जनपद में रखा जायेगा।
- जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा अपराधियों से सम्बन्धित संकलित किये गये विवरण को द्रुतगामी (ई-मेल/फैक्स/वाट्सअप आदि) माध्यम से सम्बन्धित जनपदीय पुलिस प्रभारी को अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही हेतु साझा करेगें तथा उसकी सूचना/विवरण अपने-अपने परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक को उपलब्ध करायेगें।
- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने-अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त सूचना को परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समेकित कर अपने-अपने जोनल अपर पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध करायेगें तथा अपने अधीनस्थ जनपदों की कार्यवाहियों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक निर्देश भी देगें।

- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अपने परिक्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं को जोन स्तर पर संकलित कराकर उसकी नियमित समीक्षा की जायेगी। तदोपरान्त अपने-अपने परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को मार्ग-दर्शन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अपराधियों से सम्बन्धित संकलित किये गये विवरण को द्रुतगामी (ई-मेल/फैक्स/वाट्सअप आदि) माध्यम से सम्बन्धित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त/इकाई को प्रभावी कार्यवाही हेतु साझा करेगें।
- इसी प्रकार **कमिश्नरेट स्तर** पर सूचना संकलित करने/समीक्षा करने तथा संकलित सूचना का अन्य जनपदों/परिक्षेत्रों/जोन/इकाई से साझा करने की कार्यवाही पुलिस आयुक्तों द्वारा की जायेगी।
- राज्य से बाहर निवास करने वाले अपराधियों तथा अन्य राज्यों से आगमन कर जनपदों में निवास कर रहे अपराधियों के सम्बन्ध में जोनल अपर पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस आयुक्त द्वारा सूचना संकलित कर अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे, जिसे अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) द्वारा सम्बन्धित प्रान्तों से अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्राचार किया जायेगा।

4. मैं चाहूंगा कि उपरोक्त निर्देशों के क्रम में अपने-अपने कमिश्नरेट/जनपद में एक गोष्ठी आयोजित कर अपने अधीनस्थों को इन निर्देशों से भली-भाँति अवगत कराकर अनुपालन करायें। इन निर्देशों में किसी भी स्तर पर शिथिलता/लापरवाही न बरती जाय।

5. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

11/9

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश। 12/9
2. अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश। 12-9-23
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

11/09